न .... बनाम ....

...ग संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
3/4/23	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/04/23 को पेश हो।	विभाजन प्रस्ताव स्वीकार हो 4/3/2023
25/4/23	वादीगण अधिवक्ता उपस्थित श्रीमान पीठासीन महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 20/5/23 को पेश हो	विभाजन प्रस्ताव स्वीकार
20/5/23	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान -2023, ग्रा.प. २FC मुकाम में पेश हुई। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में स्टाम्प ड्यूटी पेश होने जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर ... से कम हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 101/2017

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. चरणजीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी धोलाचक तहसील सादुलशहर।	1. बलदेव सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।(मृतक) 1/1. बलकरण सिंह उर्फ करणी पुत्र बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. बलजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. जसपिन्द्र कौर पुत्री बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. प्रीतपाल कौर पुत्री बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलराज सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगमीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. कर्मजीत कौर पुत्री गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 6. कर्मजीत कौर पुत्री ग[illegible] जटसिख [illegible] जगतेवाला त[illegible] श्रीकरणपुर। 7. किरणदीप कौर पुत्री गु[illegible] जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 8. परविन्द्र कौर पत्नी जगतार सिंह जटसिख निवासी 4 एम ढाणी पोस्ट ऑफिस 26 एफ कमीनपुरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

	श्रीकरणपुर। 9. हरदेव सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 10. बलजीत कौर पत्नी मेजर सिंह जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 16.12.2017

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादिया
2. श्री सुरेश गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 व 6
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

--निर्णय-- **दिनांकः 24.03.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32 के मुरब्बा नम्बर 23,36,44,48,49,61/11,61/15 की कुल 20.682 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि वादिया व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व खाता संख्या 31 के मुरब्बा नम्बर 49 के 6.072 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। काश्त की सहूलियत के लिए वाहमी बंटवारा में वादिया को चक 1 एन के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10 सालम-सालम व किला नम्बर 4 व 7 प्रत्येक 15-15 बिस्वा मय 0.127 हैक्टेयर खाला कुल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी मय खाला प्राप्त हुई। जिसका वादिया विधिवत विभाजन करवाना चाहती हैं। उक्त भूमि पर वादिया शुरू से ही आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया अपनी सहूलियत के लिए अपने हिस्सा में आई उक्त आराजी का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाना चाहती है। मुश्तर्का खाता की आराजी के सम्बन्ध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुश्तर्का खाता की आराजी की सम्पति का विभाजन करवाये बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और मुश्तर्का खाता की आराजी में ऋण आदि लेने में दिक्कते पेश आती है। भविष्य में वारिसान के मध्य झगडे आदि होने की नौबत बनी रहती है इसलिए वादिया ने अपना घरेलू मौखिक बंटवारा कर उसी अनुसार कब्जा काश्त किया हुआ है। आज से दो रोज पूर्व वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के [illegible] श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एन के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10 सालम-सालम व किला नम्बर 4 व 7 प्रत्येक 15-15 बिस्वा मय 0.127 हैक्टेयर खाला कुल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी मय खाला का खाता व लगान अलग से तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार गोयल उपस्थित आए व जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार वादिया का खाता अलग तकसीम किया जाता है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मुताबिक काउन्टर क्लेम मुझ प्रतिवादिया चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 11 ता 25 कुल 15 बीघा यानि 3.795 हैक्टेयर नहरी भूमि का खाता अलग से तकसीम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 8,9, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादिया के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है तथा वादिया को प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने बहस वकील उभयपक्षकारान की सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया व प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के द्वारा निवेदन किया कि वादिया को प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है व प्रतिवादी संख्या 7 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का जवाब बन्द है। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 8, 9, 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादिया के नाम व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 7 ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताविक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बावत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है। शेष खाता एंव रहन बदस्तुर रहें।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र [illegible] तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 49 व खाता संख्या 32/22 के मुरब्बा नम्बर 23, 36, 4[illegible] 48, 49, 61/11, 61/15 की कुल 26.754 हैक्टेयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 7 [illegible] आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से मा[illegible] नाम राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक भूमि का वादिया व प्रतिवादी सख्या 7 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IS
Reason: SelfAttested

प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादिया व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादिया एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:5
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

चरणजीत कौर बनाम बलदेव सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नं. 101/2017
निर्णय दिनांक :- 24.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां, श्री सुरेश गोयल** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 49 व खाता संख्या 32/22 के मुरब्बा नम्बर 23, 36, 44, 48, 49, 61/11, 61/15 की कुल 26.754 हैक्टेयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया व प्रतिवादी सख्या 7 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादिया व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादिया एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 24.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
कोर्टडयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 24.03.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/151
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 101/2017

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. चरणजीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी धोलाचक तहसील सादुलशहर।	1. बलदेव सिंह पुत्र हरजिन्द्र सिंह उर्फ हरमन्दर सिंह जटसिख निवासी 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।(मृतक) 1/1. बलकरण सिंह उर्फ करणी पुत्र बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/2. बलजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/3. जसपिन्द्र कौर पुत्री बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/4. प्रीतपाल कौर पुत्री बलदेव सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. बलराज सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 4. जगमीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 5. कर्मजीत कौर पुत्री गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 6. कर्मजीत कौर पुत्री गुरदीप सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 7. परविन्द्र कौर पत्नी जगतार सिंह जटसिख निवासी 4 एम ढाणी पोस्ट ऑफिस 26 एफ कर्मीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर। 8. हरदेव सिंह पुत्र हरमन्दर सिंह जटसिख निवासी जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 9. बलजीत कौर पत्नी मेजर सिंह जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 16.12.2017

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित: 1.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादिया
2. श्री सुरेश गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 व 6
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक:

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 32 के मुरब्बा नम्बर 23,36,44,48,49,61/11,61/15 की कुल 20.682 हैक्टेयर नहरी मय खाला भूमि वादिया व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। व खाता संख्या 31 के मुरब्बा नम्बर 49 के 6.072 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त आराजी

अधिकारी (राजस्व)

का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। काश्त की सहूलियत के लिए बाहमी बंटवारा में वादिया को चक 1 एन के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10 सालम-सालम व किला नम्बर 4 व 7 प्रत्येक 15-15 बिस्वा मय 0.127 हैक्टेयर खाला कुल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी मय खाला प्राप्त हुई। जिसका वादिया विधिवत विभाजन करवाना चाहती हैं। उक्त भूमि पर वादिया शुरू से ही आज तक लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया अपनी सहूलियत के लिए अपने हिस्सा में आई उक्त आराजी का किलावाईज राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाना चाहती है। मुश्तर्का खाता की आराजी के सम्बन्ध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुश्तर्का खाता की आराजी की सम्पति का विभाजन करवाये बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और मुश्तर्का खाता की आराजी में ऋण आदि लेने में दिक्कते पेश आती है। भविष्य में वारिसान के मध्य झगडे आदि होने की नौबत बनी रहती है इसलिए वादिया ने अपना घरेलू मौखिक बंटवारा कर उसी अनुसार कब्जा काश्त किया हुआ है। आज से दो रोज पूर्व वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 1 एन के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,23 सालम-सालम, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 1,2,3,8,9,10 सालम-सालम व किला नम्बर 4 व 7 प्रत्येक 15-15 बिस्वा मय 0.127 हैक्टेयर खाला कुल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी मय खाला का खाता व लगान अलग से तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार गोयल उपस्थित आए व जवाबदावा पेश नहीं करने पर जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार वादिया का खाता अलग तकसीम किया जाता है। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मुताबिक काउन्टर क्लेम मुझ प्रतिवादिया चक 1 एन की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 11 ता 25 कुल 15 बीघा यानि 3.795 हैक्टेयर नहरी भूमि का खाता अलग से तकसीम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 8,9, 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादिया के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादिया अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है तथा वादिया को प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वा[illegible] चाहते है। लि[illegible] राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लि[illegible] का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्रस राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लि[illegible] प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा [illegible] जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमि[illegible] गई कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र [illegible] जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा न[illegible]9 व खाता संख्या 32/22 के मुरब्बा नम्बर 23, 36, 44, 48, 49, 61/11, 61/15 की कुल 26.754 हैक्टेयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्सा में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे तथा शेष खाता बदस्तुर रहे।

[signature]
[illegible] (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IS
Reason: SelfAttested

तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान उभयपक्ष अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 7 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 31/31 के मुरब्बा नम्बर 49 व खाता संख्या 32/22 के मुरब्बा नम्बर 23, 36, 44, 48, 49, 61/11, 61/15 की कुल 26.754 हैक्टेयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
...रणजीत कौर पत्नी लखविन्द्र ...िंह जाति जटसिख निवासी ...ला चक तहसील ...डुलशहर। (3.720 हेक्टैयर)	1 एन	36	1	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
			2	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
			3	0.228 हेक्टैयर	नहरी	1.89
			8 ता 13	1.518 हेक्टैयर	नहरी	12.60
			18 ता 23	1.518 हेक्टैयर	नहरी	12.60
...विन्द्र कौर पत्नी जगतार ...िंह जटसिख निवासी 4 एम ...र्णा पोस्ट ऑफिस 26 एफ ...नपुरा तहसील ...करणपुर।(3.764 हेक्टैयर)	1 एन	49	11/2	0.240 हेक्टैयर	नहरी	1.99
			12 ता 19	2.040 हेक्टैयर	नहरी	16.93
			20/2	0.240 हेक्टैयर	नहरी	1.99
			21/2	0.240 हेक्टैयर	नहरी	1.99
			22 ता 24	0.759 हेक्टैयर	नहरी	6.30
			25/2	0.245 हेक्टैयर	नहरी	2.03

...ष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा ...पोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर ...क्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर ...द तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ... को मेरे द्वारा लिखवाया ...
...अभियान-2023 में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

क्रमांकः–भू–अ./ 971 दिनांक :– 29.03.2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
श्री करणपुर

विषयः– प्र.सं. 101/2017 अनवान चरणजीतकौर बनाम बलदेवसिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।
प्रसंगः– आपका पत्रांक रीडर/2022/ दिनांक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्र.सं. 101/2017 अनवान चरणजीतकौर बनाम बलदेवसिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए में चक 1 एन की भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जो कि मूल रिपोर्ट/मूल फर्द मौका, नक्शा व नकल जमाबन्दी व अन्य कागजात के पत्र के साथ संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न–उक्तानुसार

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द मौका

आज दिनांक 02.02.23 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर मु० नं. 101/2017 अनवान चरणजीत कौर बनाम बलदेव सिंह आदि अन्तर्गत धारा 53 RTA में चक 1N के मौके पर पहुँचे। मौके पर वादीया चरणजीत कौर तथा प्रतिवादी सं 7 परविन्द्र कौर उपस्थित मिले। वाद से सम्बन्धित चक 1N के मु० नं. 23, 36, 44, 48, 49, 61/11, 61/15 की भूमि विवादित हाल जमाबन्दी अनुसार खाता सं. 31 में अंकित मु० नं 49 कि. नं. 2 से 9, $\frac{10}{2}$, $\frac{11}{2}$, 12 से 19, $\frac{20}{2}$, $\frac{21}{2}$, 22 से 24, $\frac{25}{2}$ कुल 6.0120 हैक्टे. नहरी तथा खाता सं. 32 में अंकित मु० नं. 23 कि. नं. 5 से 7, 14 से 17, 24, 25 कुल 2.0880 है नहरी मु० नं 36 कि. नं 1 से 25 कुल 6.0740 है. नहरी मु. नं. 44 कि. नं. 1 से 25 कुल 5.9480 है. नहरी मु. नं. 48 कि. नं 1 से 25 कुल 5.7540 है. नहरी मु. नं. 49 कि. नं. 1/2 कुल 0.2400 है नहरी मु. नं 61/11 कुल 0.2500 है. खाला, मु. नं. 61/15 कुल 0.2500 है खाला कुल खाता योग 20.6040 है. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 1N के खाता सं. 32 में वादिया चरणजीत कौर का हिस्सा $\frac{927}{3434}$ अर्थात 5.562 है. दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं. 32 में प्रतिवादी सं. 7 परविन्द्र कौर का हिस्सा $\frac{1771}{20604}$ अर्थात 1.771 हैक्टे. तथा खाता सं. 31 में प्रतिवादी 7 का हिस्सा $\frac{1985}{6012}$ अर्थात 1.985 है. कुल रकबा 3.756 है. दर्ज है। वादिया तथा प्रतिवादी सं. 7 का ... वार्डिंग हिस्सा SBZ शाखा गुलाबेवाला ... में ... दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Jagmeet Singh   परविन्द्र कौर   Jaytarsingh

चरणजीत कौर   लखविन्द्र सिंह

पटवारी 3SF

वादिया तथा प्रतिवादी सं. 7 की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड एवं मौका निरीक्षण अनुसार चक 1N के खाता सं. 31 तथा 32 में वर्णित मु० नं. की भूमि का विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया—

क्र.सं.	प्रस्तावित खातेदार	चक	खाता सं.	प्रस्तावित रकबा
				मु.नं. कि.नं.
1	परमजीतकौर पत्नी लखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर	1N	32	मु.नं. 26 कि.नं. 1/220, 2/220, 3/220, 8/253, 9/253, 10/253, 11/253, 12/253, 13/253, 18/253, 19/253, 20/253, 21/253, 22/253, 23/253 = 3.720 हैक्टे.
		1N	31	मु.नं. 49 कि.नं. 1/2 /240, 2/253, 3/253, 8/253, 9/253, 10/2 /240, 4/175, 7/175 = 1.842 हैक्टे. कुल रकबा = 3.720 + 1.842 हैक्टे. = 5.562 हैक्टे.
2.	परविन्द्र कौर पत्नी जगतारसिंह जाति - जटसिख स्वा० 4m खातेदार	1N	31	मु.नं. 49 कि.नं. 11/2 .240, 12 to 19 2.040, 20/2 .240, 21/2 .240, 22 to 24 .759, 25/2 .245 = 3.764 हैक्टे.

प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड 3.756 है. है जबकि मौका अनुसार 3.764 है. है। शेष खात[illegible] है। उपस्थित
आदेशानुसार फर्द मौका मय विभाजन प्रस्ताव [illegible] उपस्थित
को पढ़कर सुनायी एवं हस्ताक्षर करवाए। [illegible] भूमि आदेशानुसार
बैंक में रहन है) सम्बन्धित बैंक को वाद में [illegible] है)

परविन्द्र कौर   Jagtar Singh   पटवारी 25F

Jagmohan Singh

परमजीत कौर   लखविन्द्र सिंह   [illegible] 1112 अरदाजपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested